न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575 / 2025

जितेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य

आदेश की तिथिः– 01.09.2026

आदेश

द्वितीय पाली

01.09.2026 पीरबहोर थाना कांड संख्या 738 / 2024 अंतर्गत धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम से उत्पन्न इस सत्र वाद में दिनांक 07.11.2024 से कारा में निरूद्ध आवेदक अभियुक्त जितेन्द्र सिंह, पिता–धर्मपाल सिंह के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया है, पर उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राथमिकी अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि 27.10.2024 को अवधेश अग्रवाल (मृतक) पटना के चूड़ी गली स्थित इमामबाड़ा के पास अपने किराए के कमरे में भोजन करने गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके कमरे में घुसकर सूचक के मामा को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर दाखिल किया गया है, विशेषकर तब जब इस विद्वान न्यायालय द्वारा 07 गवाहों की जांच की जा चुकी है, लेकिन इस मामले में जांच किए गए गवाहों द्वारा कोई भी आपत्तिजनक सामग्री / साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया है। आवेदक लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह निर्दोष है और उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। तथाकथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं पाया गया है। आवेदक विधि का पालन करने वाला व्यक्ति है तथा विद्वान न्यायालय की संतुष्टि अनुसार बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है तथा जब भी उसे विद्वान न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाएगा, उपस्थित होने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है उसका नाम कांड दैनिकी की कंडिका 131 के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार सह–अभियुक्तगण नीरज

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

जितेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य

आदेश की तिथिः– 01.09.2026

गौतम एवं बृज भूषण पंडित उर्फ भूषण पंडित के संस्वीकृति बयान में आया है। आवेदक का इस हत्या के मामले में सक्रिय रूप से सहयोगी रहा है, क्योंकि आवेदक इस मामले के सह–अभियुक्त निखिल गोयल का चालक था, जिसका कि मृतक से व्यापारिक विद्वेश था और निखिल गोयल के निर्देश पर आवेदक ने रुपए दिए और उसी के द्वारा सह–अभियुक्त भूषण और नीरज गौतम को कट्टा दिया था और उन्होंने अवधेश अग्रवाल की गोली मार कर हत्या कर दी। आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक वाद संख्या 23363/2025 में दिनांक 16.07.2025 को पारित आदेश खारिज होने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी एस0एल0पी0(क्रि0) 17710/2025 में दिनांक 23.04.2026 को पारित आदेश से खारिज किया गया है। वर्तमान में यह मामला अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है तथा अभियोजन की ओर से 08 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया जा चुका है। इस मुकदमे का विचारण लगभग अंतिम चरण में है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अभिलेख के इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के साथ के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पटना

निर्णय/आदेश की तिथि	01.09.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	02.09.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक